संख्या-92/2026/आई/1281601/2026/002-89-1099/272/2023

प्रेषक,

मनोज वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊ:दिनांक: 27 मार्च, 2026

विषय- अनुदान संख्या-69 के अन्तर्गत प्रदेश के 05 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों मे 40 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-आई/514172/2026/UPDTE/1/2026, दिनांक 20.03.2026 का कृपया संदर्भ गृहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया प्रदेश के 05 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों क्रमश: सिविल लाईन-फतेहपुर/खागा-फतेहपुर/बिन्दकी-फतेहपुर/कुण्डा-प्रतापगढ़/कालपी-जालौन में 40 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0नेडा द्वारा प्रति संस्थान प्रस्तावित लागत रूपये **20,70,960.00** की दर से उक्त 05 संस्थानों हेतु कुल रूपये 1,03,54,800.00 की धनराशि पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रति संस्थान रूपये **20,70,960.00** की दर से कुल रूपये **1,03,54,800.00 (रूपये एक करोड़ तीन लाख चौवन हजार आठ सौ मात्र)** की धनराशि स्वीकृत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) कार्य के समय अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) प्रश्नगत कार्य कार्यदायी संस्था,यू.पी.नेडा द्वारा किया जायेगा।
(3) कार्य की विशिष्टियां ,मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशालय का होगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाया
(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों ,समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/ पी0एल0ए0 में नही रखी जायेगी।
(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है ,उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग यू0पी0नेडा द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार वर्णित कार्यों के लिए ही किया जायेगा। किसी भी अन्य कार्य के लिए धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।
(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
(8) कार्य का सक्षम स्तर से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,03,54,800 (रुपये एक करोड़ तीन लाख चौवन हजार आठ सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 069 लेखा शीर्षक 4250002031200 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना मानक मद 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- संबंधित जनपद के जिलाधिकारी।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन,उ0प्र0,लखनऊ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
6- वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- सम्बंधित जनपद के नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(द्वारा निदेशक)।
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन,लखनऊ।
9- निदेशक, यू0पी0नेडा, लखनऊ।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।